

# कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई


//रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर आमंत्रण सूचना//

क्र./ लोकवि/जोन-3/न0नि0/2023/204

भिलाई, दिनांक 18.05.2023

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत BOT आधार पर ग्राउण्ड लॉली पॉप लगाये जाने का कार्य हेतु रुचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत ऑफर दो लिफाफा पद्धति से दिनांक 08.06.2023 तक आमंत्रित किया जाता है। ऑफरदाताओं को लिफाफा 'A' में निविदा शुल्क राशि रु. 2,000.00 का डी.डी. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं धरोहर राशि रु. 25,000.00 किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. के रूप में कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं ऑफरदाता के संयुक्त नाम के साथ एवं संलग्न नियम शर्तों में उल्लेखित दस्तावेज तथा लिफाफा 'B' में वित्तीय ऑफर (Financial Offer) के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त ऑफर लिफाफा "A" दिनांक 09.06.2023 को समय प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। निर्धारित निविदा शुल्क धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज के परीक्षण उपरांत पात्र ऑफरदाता का लिफाफा 'B' वित्तीय ऑफर (Financial Offer) खोला जावेगा। जिसकी पृथक से सूचना दी जावेगी। ऑफर खोले जाने के समय ऑफरदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

नियम शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन समय में कार्यपालन अभियंता, जोन-03 मदर टेरेसा नगर, नगर पालिक निगम, भिलाई में की जा सकती है तथा नियम शर्तों एवं कार्यों की जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई के वेब साईट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) से डाउनलोड की जा सकती है।


  
जोन आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

## कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

### स्ट्रीट लाईट लॉलीपॉप एवं ग्राउण्ड लॉलीपॉप विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने हेतु नियम व शर्तें

01. ग्राउण्ड लॉलीपॉप की साइज 4 x 3 होगी। जिसका उपयोग डिवाइडर के लिये होगा।
02. ग्राउण्ड लॉलीपॉप की संख्या एवं साइज की सूची प्रस्तुत करना होगा।
03. ग्राउण्ड लॉली पॉप सुरक्षित स्थान पर लगाना होगा।
04. आंधी तूफान या अन्य किसी कारण से ध्वस्त होने पर जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नुकसान की भरपाई स्वयं वहन करना होगा।
05. स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य स्वयं के व्यय से करना होगा।
06. ग्राउण्ड लॉली पॉप विज्ञापन प्रदर्शन अधिकतम 05 वर्षों के लिए अनुबंधित किया जायेगा।
07. एक वर्ष पश्चात् शुल्क का निर्धारण स्वीकृत दर में 10 प्रतिशत वृद्धि कर नवीनीकरण किया जावेगा।
08. विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क निविदा के अनुसार प्रति नग प्रतिवर्ष की दर से कार्यादेश जारी माह से 06-06 माह में जमा करना होगा। नियत तिथि के भीतर राशि जमा न करने पर 15 प्रतिशत मासिक अधिभार के साथ राशि जमा कराना होगा। न्यूनतम दर 3000/- रु० प्रति नग होगी। इससे कम की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।
09. अनुबंध के पूर्व यात्रायात विभाग, लोककर्म विभाग, विद्युत विभाग एवं अन्य विभाग से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा
10. निगम द्वारा विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने तथा प्रचार प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं करेगा।
11. लायसेंसी द्वारा स्थापित विज्ञापन बोर्ड में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
12. स्थापित ग्राउण्ड लॉलीपॉप को किन्ही कारणों से अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में लायसेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थापित करना होगा।
13. यह कि, निगम को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनियम) उपविधि, 2010 में विहित प्रावधानों का पालन किया जाना होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से एक या अनेक शर्तों के उल्लंघन होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त की जा सकेगी। एवं इस पर होने वाले समस्त व्यय की जिम्मेदारी लायसेंसी की होगी।

  
जोन आयुक्त  
जोन-03

नगर पालिक निगम, भिलाई

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जोन- 3 मदरटेरेसा नगर

क०/जोन-3/न०नि०/2023/2०५

भिलाई, दिनांक 18/०५/2023


प्रति,

जनसम्पर्क अधिकारी  
नगर पालिक निगम,  
भिलाई

विषय:- रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रण सूचना का प्रकाशन बाबत।

नगर पालिक निगम, भिलाई में जोन क०-3 से संबंधित संलग्न रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर आमंत्रण सूचना का प्रकाशन नियमानुसार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशित विज्ञापन की प्रति उपलब्ध करावें।

संलग्न:-1. रूचि की अभिव्यक्ति सूचना की प्रति

  
जोन आयुक्त

जोन-03


नगर पालिक निगम, भिलाई

पृ० क०/जोन-3/न०नि०/2023/2०५

भिलाई, दिनांक 18/०५/ 2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रोग्रामर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) and [tender-uad@cg.gov.in](mailto:tender-uad@cg.gov.in) में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

  
जोन आयुक्त

जोन-03

नगर पालिक निगम, भिलाई